| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मुकदमा नम्बर – 106 / 2021 | |

25-03-22

आज पत्रावली पेश हुई। स्टेट की ओर से तहसीलदार लूनकरनसर व प्रतिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थिति प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि स्टेट की ओर से भूमिधारी तहसीलदार लूनकरनसर ने वाद अन्तर्गत धारा 175, 177 व 178 आरटीएक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम शेरपुरा में खातेदार ओमप्रकाश रामेश्वर व सुरस्वती पि0 उदाराम नायक साकिन शेरपुरा के नाम से खसरा नम्बर 1937 / 1629 तादादी 28.08 बीघा खातेदारी भूमि है जिसमें 10 बीघा भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन दिनांक 05.03.2020 को करवाया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 18 बीघा भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग मे ली जा रही है अर्थात 8 बीघा अधिक भूमि का अकृषि प्रयोजन लिया जा रहा है जिससे कृषि उपज प्रभावित हुई जो कृषि कार्यों के लिए हानिप्रद है इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों का उलंघन किया हैं। अतः खसरा नम्बर 1937 / 1629 की 8.0 बीघा भूमि को आरडीएक्ट की धारा 175,177,178 के तहत कार्यवाही कर 8 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। प्रतिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश कर दावे में वर्णित कथनों को अस्वीकार कर वाद वादी निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में कोई प्रमाणित दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत दावा को प्रमाणित नहीं किया। मात्र फर्द मौका की प्रमाणित परते पेश की जिसके अनुसार ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 1937 / 1629 में तादादी 28.08 बीघा जो अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी भूमि है जिस पर भारतमाला प्रोजेक्ट का प्लांट लगाया हुआ है उक्त प्लांट हेतु दिनांक 05.03.2020 द्वारा 10 बीघा का संपरिवर्तन कराया हुआ है मौका पर प्लांट 13 बीघा भूमि पर है तथा प्लांट के चारों ओर करीब 5 बीघा भूमि पर प्रोजेक्ट की सामग्री पड़ी हुई हैं।

इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर सें संपरिवर्तन आदेश की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुरा की एनओसी, एवं एसटीपी की छायाप्रति किरायानामा की तस्दीकशुदा छायाप्रति व विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के नियम की प्रतियो को पेश किया हैं।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि खातेदार की 28.08 बीघा खातेदारी भूमि में से 10 बीघा का संपरिवर्तन कराया गया है जबकि उपयोग 18 बीघा का किया जा रहा है फर्द मौका अनुसार 3 बीघा अधिक में प्लांट तथा 5 बीघा में सामग्री डाल रखी है जो रास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों का उलंघन है अतः 8 बीघा भूमि जिसका बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्यो हेतु उपयोग में लिया जा रहा है कि अप्रार्थी संख्या 2ता4 की खातेदारी समाप्त की जावे।

बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 भारत सरकार के सड़क मार्ग एवं राजमार्ग मं.त्रालय के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754k के किमी 99.824 से किमी 184.478 तक भूखण्ड के निर्माण का कार्य कार्यकारी ऐजेन्सी के रूप में कर रही है जिसका कार्य आदेश दिनांक 15.10.2019 व 07.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 मैसर्स राजश्यामा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. के नाम जारी हुआ है। उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु जैतपुर बी से 1 एमकेडी हेतु ग्राम शेरपुरा की रोही में खातेदारी खेत क्षेत्रफल 30.05 बीघा लीज पर लिया हुआ है जिसका लीज एग्रीमेंट दिनांक 06.12.2019 को सम्पन्न हुआ है जिसका नवीनीकरण 17.12.2021 को हो चुका हैं। उक्त खातेदारी भूमि जो कि कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लीज पर ली गई हैं। उसमें से 10 बीघा भूमि को हॉट मिक्सचर प्लांट, पेट्रोल पम्प एवं प्लान्ट स्टोर के रूप में काम लेने हेतु नियमानुसार कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर द्वारा दिनांक 05.03.2021 को जारी हुए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok
Date: 2022.06.20 15:54:2
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया जा रहा भारतमाला सडक निर्माण का कार्य देश के व्यापक हित में जनकल्याणकारी परियोजना का भाग हैं। जिसमें राज्य का हित भी निहित हैं साथ ही कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के मापदण्डों एवं निर्धारित मानकों की पालना में किया जा रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया जा रहा कार्य विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) द्वारा संशोधित (31.10.2019 से प्रभावी) अधिनियम की धारा 20 (क) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सूची धारा 41(जक) परियोजनाओं और अवसरंचनाओं उप–सैक्टरों के प्रवर्ग में अनुसूचित क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित प्रवर्ग– परिवहन के अवसरंचना उप–सैक्टर (क) सड़क व पुल के अन्तर्गत आता है जिसमें किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां स्वीकार नहीं हैं। केन्द्र के दिशा–निर्देशों राज्य सरकार के राजस्व नियमों का अक्षरशः पालना समय–समय पर सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त वर्णित भूमि के कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन करवाने एवं प्लान्ट स्थापित करने से पूर्व कार्यालय ग्राम पंचायत शेरपुरा से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी का वाद पत्र खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया गया। यह भी निवेदन किया कि मौका पर 8 बीघा में निर्माण सामग्री खाली करवाई गई थी जिस दिन फर्द मौका तैयार किया जिसके तुरन्त बाद ही सामग्री को हटा दिया गया था सामग्री खाली कर वापिस उठा लेने से भूमि का वर्ग नहीं बदल सकता है अकृषि कार्य संपरिवर्तित भूमि पर किया जा रहा हैं। अतः वादी वादी खारिज किया जावें।

हमने बहस उभय पक्ष का मनन किया। प्रस्तुत रिकार्ड जवाब का अध्ययन किया। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2ता5 की खातेदारी भूमि 10 बीघा के संपरिवर्तन कराया हुआ है तथा किरायानामापूरी भूमि का लिखवाया गया हैं। मौका पर सामग्री कंकरीट वगैरह दूर खाली कर डाली जानी स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उक्त सामग्री को हटाने के पश्चात भूमि कृषि कार्य हेतु उपलब्ध हैं। इस प्रकार वाद वादी साबित नहीं [illegible] लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता हैं। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्त्तर हो।

(अशोक कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी**
**लूनकरनसर**

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:54:27 IST
Reason: SelfAttested